अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा–जोखा हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम, 2015 के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों एवं विशिष्ट सेवाओं पर हुए वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाने के लिये एक नियन्त्रण अभिलेख हैं और इस कारण यह वित्त लेखे के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत थीं एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्मत नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.2 विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण

बजट मैनुअल के प्रस्तर 141 के अनुसार, वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धनराशि, जो अन्तिम विवरण में बचत दर्शायी गयी है, नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपयोग में नहीं लायी जायेगी। सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिये।

वर्ष 2015–16 के दौरान 93 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.1** में दी गयी है।

सारणी 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	31 मार्च को अभ्यर्पित धनराशि	31 मार्च को अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता
1		2	3	4	5	6	7	8	का. 7/का.6
दत्तमत	I राजस्व	1,88,270.49	28,822.93	2,17,093.42	1,85,502.85	31,590.57	17,242.98	17,242.98	55
	II पूंजीगत	74,082.90	10,711.05	84,793.95	77,312.13	7,481.82	7,066.59	7,066.59	94
	III ऋण तथा अग्रिम	2,792.99	7,088.64	9,881.63	9,117.91	763.72	738.22	738.22	97
योग दत्तमत		**2,65,146.38**	**46,622.62**	**3,11,769.00**	**2,71,932.89**	**39,836.11**	**25,047.79**	**25,047.79**	**63**
भारित	IV राजस्व	29,055.56	547.70	29,603.26	28,777.49	825.77	26.84	26.84	3
	V पूंजीगत	36.11	11.00	47.11	29.09	18.02	3.08	3.08	17
	VI लोकऋण–पुनर्भुगतान	20,983.89	402.64	21,386.53	17,672.76	3,713.77	3,771.19	3,771.19	102
योग भारित		**50,075.56**	**961.34**	**51,036.90**	**46,479.34**	**4,557.56**	**3,801.11**	**3,801.11**	**83**
महायोग		**3,15,221.94**	**47,583.96**	**3,62,805.90**	**3,18,412.23**	**44,393.67**	**28,848.90**	**28,848.90**	**65**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकडों में जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 1,544.39 करोड़) एवं दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 12,918.50 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज वर्ष 2015–16)

सारणी दर्शाती है कि ₹ 44,393.67 करोड़ की कुल बचत, कुल अनुदान/विनियोग (₹ 3,62,805.90 करोड़) का 12 *प्रतिशत* थी। कुल बचत (₹ 44,393.67 करोड़) में से ₹ 28,848.90 करोड़ अभ्यर्पित किया गया, जो कुल बचत का 65 *प्रतिशत* थी।

दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत बचतें (₹ 39,836.11 करोड़), कुल अनुदानों (₹ 3,11,769 करोड़) का 13 *प्रतिशत* थीं। इसमें से ₹ 25,047.79 करोड़ की धनराशि 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गयी, जो बचत का 63 *प्रतिशत* थी।

भारित अनुभाग के अन्तर्गत कुल बचतें, ₹ 4,557.56 करोड़, कुल विनियोग (₹ 51,036.90 करोड़) का नौ *प्रतिशत* थीं। कुल बचतों में से ₹ 3,801.11 करोड़ 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया, जो बचतों का 83 *प्रतिशत* थीं।

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 123 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण–पुनर्भुगतान) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 79 प्रकरणों में, ₹ 47,067.01 करोड़ की बचतों के परिणामस्वरूप ₹ 44,393.67 करोड़ की कुल बचतें हुईं जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के आठ प्रकरणों तथा पूंजीगत अनुभाग के चार प्रकरणों में ₹ 2,673.34 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्ययाधिक्य

व्यय की धनराशि, ₹ 16,665.84 करोड़, अनुमोदित प्रावधान से ₹ 2,673.33 करोड़ अधिक थी जहाँ व्यय चार अनुदानों के सात प्रकरणों में 10 करोड़ या अधिक; तथा पाँच

अनुदानों के पाँच प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था। इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है।

सारणी 2.2 के विवरणानुसार निम्नलिखित दो अनुदानों में लगातार विगत पाँच वर्षों से 2015-16 के अंत तक व्ययाधिक्य पाया गया।

सारणी 2.2: अनवरत अधिक व्यय से सम्बन्धित अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की धनराशि				
		2011-12	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
राजस्व – दत्तमत						
1	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	2.48	2.36	4.78	7.71	8.35
2	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	106.77	166.12	204.95	310.73	281.23
पूंजीगत – दत्तमत						
3	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	54.55	71.97	70.68	47.23	29.19
4	58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,068.66	2,152.37	3,131.34	2,430.21	2,211.02

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2011–16 की अवधि में, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (भवन) एवं अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) एवं पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (भवन) एवं अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय माँगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

अनुदान संख्या 58 के छः योजनाओं[1] की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि ₹ 1,075 करोड़ बजट प्रावधान तथा ₹ 63.19 करोड़ पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध कराया गया। कुल प्रावधान ₹ 1,138.19 करोड़ के सापेक्ष विभाग द्वारा ₹ 1,244.32 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 106.13 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्रोराटा समायोजन के कारण अनुदान संख्या 54 के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय के साथ व्ययाधिक्य का समायोजन हुआ।

2.3.2 विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधायिका द्वारा विनियमित कराये। यद्यपि, वर्ष 2005–15 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 22,577.49 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था। 91 अनुदानों एवं 34 विनियोगों के अन्तर्गत

[1] राज्य राजमार्ग का निर्माण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छोटे पुलों के निर्माण के चालू कार्य, एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये बाईपास का निर्माण, आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों के मुख्य/अन्य जनपदीय सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण, डा. राममनोहर लोहिया एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित असम्बद्ध बस्तियों को जोड़ने वाले लिंक रोड का निर्माण एवं श्री राम सरन दास ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित 500 से अधिक जनसंख्या वाले सम्बद्ध बस्तियों को जोड़ने वाले लिंक रोड का निर्माण।

हुए वर्षवार व्ययाधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु प्रतीक्षित थे, का विवरण **सारणी 2.3** में दिया गया है।

सारणी 2.3: विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदानों/विनियोगों का विवरण	आधिक्य धनराशि
2005-06	25–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत– 8,12,19,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत– 15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40, 55, 56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित– 1,52; पूंजीगत भारित– 52,55;	1,026.78
2006-07	18–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत– 9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत– 3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित– 2,3,10,52,62,89;	2,484.47
2007-08	12–अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत– 51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत– 13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित– 51,66	3,610.65
2008-09	5–अनुदान 1– विनियोग	राजस्व दत्तमत– 62,96; पूंजीगत दत्तमत– 55,58,96; राजस्व भारित– 52;	3,399.42
2009-10	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत– 58; पूंजीगत दत्तमत– 1,16,55,58,59; राजस्व भारित– 3,10,16,48,52,66;	1,250.16
2010-11	6–अनुदान 4– विनियोग	राजस्व दत्तमत– 30,51,91; पूंजीगत दत्तमत– 10,55,58; राजस्व भारित– 10,23,61,82;	1,702.62
2011-12	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत– 21,62,91; पूंजीगत दत्तमत– 1,55,58; राजस्व भारित– 13,18,23,61,62,82;	1,889.66
2012-13	4–अनुदान 3– विनियोग	राजस्व दत्तमत– 51,57; पूंजीगत दत्तमत– 55,58; राजस्व भारित– 55,62,89;	2,380.23
2013-14	2–अनुदान 1–विनियोग	पूंजीगत दत्तमत– 55, 58; पूंजीगत भारित– 52;	2,608.18
2014-15	7- अनुदान 1- विनियोग	राजस्व दत्तमत– 57,91; पूंजीगत दत्तमत– 1,40,55,57,58; राजस्व भारित– 13;	2,225.32
		योग	**22,577.49**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.3.3 वर्ष 2015–16 में अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2015–16 में अनुदानों/विनियोगों के आठ प्रकरणों में राज्य की संचित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्ययाधिक्य ₹ 1,566.71 करोड़[2] का सार **सारणी 2.4** में दिया गया है।

[2]विभिन्न अनुदानों में प्रोराटा/उचन्त समायोजन होने के कारण अवशेष आधिक्य धनराशि (₹ 2,673.34 करोड़ - ₹ 1,566.71 करोड़) के अलग से विनियमितीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सारणी 2.4: वर्ष 2015–16 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	व्ययाधिक्य	वर्ष के दौरान निधियों का समायोजन	व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7
पूंजीगत – दत्तमत						
1	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	81.31	110.50	29.19	7.87	21.32
2	57- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	1,380.56	1,519.15	138.59	138.11	0.48
3	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	8,358.88	10,569.90	2,211.02	668.22	1,542.80
4	87- सैनिक कल्याण विभाग	2.37	2.38	0.01	0.00	0.01
	योग	**9,823.12**	**12,201.93**	**2,378.81**	**814.20**	**1,564.61**
राजस्व – भारित						
5	2- आवास विभाग	1.67	1.68	0.01	0.00	0.01
6	23- गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.06	0.04	0.00	0.04
7	52- राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	0.19	1.03	0.84	0.00	0.84
8	62- वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	31.51	32.72	1.21	0.00	1.21
	योग	**33.39**	**35.49**	**2.10**	**0.00**	**2.10**
	महायोग	**9,856.51**	**12,237.42**	**2,380.91**	**814.20**	**1,566.71**

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2015–16)

सारणी से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत मार्च 2016 तक ₹ 1,566.71 करोड़ का विनियमितीकरण होना प्रतीक्षित था।

2.3.4 बचतें

विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 46 प्रकरणों में प्रत्येक में बचतें ₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधानों के 20 *प्रतिशत* से अधिक थीं (***परिशिष्ट 2.2***)।

₹ 47,067.01 करोड़ की कुल बचतों के सापेक्ष 34 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 48 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में ₹ 44,890.95 करोड़ (95 *प्रतिशत*) की बचत पायी गयी, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

यह संज्ञान में आया कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें लेखे के राजस्व दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत 17 अनुदानों, अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग, 14–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), 26–गृह विभाग (पुलिस), 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), 37–नगर विकास विभाग, 48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग, 51–राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत), 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन), 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के

लिए विशेष घटक योजना), 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) एवं 95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में हुई।

पूंजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें लेखे के आठ अनुदानों, अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग, 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), 13–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), 40–नियोजन विभाग, 48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) एवं 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में हुई।

इसी प्रकार, ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व भारित के साथ–साथ पूंजीगत भारित के अन्तर्गत अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) में भी रही।

वर्ष 2015–16 के दौरान 21 अनुदानों/विनियोगों में हुई बचतों (₹ 500 करोड़ से अधिक) की तुलना विगत वर्ष की बचतों से की गई और यह संज्ञान में आया कि इन 21 अनुदानों/विनियोगों में से 16 अनुदानों/विनियोगों के 19 प्रकरण ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2014–15 के दौरान भी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) हुई जिसका विवरण **सारणी 2.5** में दिया गया है।

सारणी 2.5: बचत दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	वर्ष के दौरान हुई बचतें (₹ 500 करोड़ और अधिक)	
			2014-15	2015-16
1	09	ऊर्जा विभाग - पूंजीगत दत्तमत	1,615.00	2,493.80
2	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) – पूंजीगत दत्तमत	2,017.90	1,669.11
3	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) – राजस्व दत्तमत	2,368.27	3,117.69
4	26	गृह विभाग (पुलिस) - राजस्व दत्तमत	994.09	1,346.41
5	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)- राजस्व दत्तमत	672.14	938.53
6	37	नगर विकास विभाग – राजस्व दत्तमत	2,762.12	1,390.72
7	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग – राजस्व दत्तमत	815.40	852.81
8	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग – पूंजीगत दत्तमत	640.44	635.44
9	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)- राजस्व दत्तमत	1,265.68	1,384.03
10	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) - राजस्व भारित	3,211.79	796.83
11	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय) - पूंजीगत भारित	9,971.46	3,711.90
12	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) – राजस्व दत्तमत	3,829.53	4,666.51
13	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)- राजस्व दत्तमत	4,390.54	3,229.85
14	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) - राजस्व दत्तमत	787.75	918.15
15	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) - राजस्व दत्तमत	1,612.85	667.45
16	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) - राजस्व दत्तमत	2,509.94	2,306.78
17	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) - पूंजीगत दत्तमत	1,634.76	1,357.70
18	94	सिंचाई विभाग (निर्माण) – राजस्व दत्तमत	745.95	766.33
19	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) – राजस्व दत्तमत	739.30	933.97

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2014–15 एवं 2015–16)

वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षों के दौरान भी प्रावधानित अनुदानों/विनियोगों में से अत्यधिक धनराशियों की बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) अपेक्षित निधियों का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.5 अनवरत बचत

यह संज्ञान में आया कि 16 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 18 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक), ₹ 208.61 करोड़ एवं ₹ 3,711.90 करोड़ के मध्य, हो रही थी। इसका विवरण **सारणी 2.6** में दिया गया है।

सारणी 2.6: अनवरत बचतों वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचत की धनराशि				
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व–दत्तमत							
1	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	766.37	644.92	596.10	425.39	438.74
2	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	134.31	103.79	201.09	399.75	208.61
3	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	211.63	907.53	462.21	2,368.27	3,117.69
4	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	145.70	403.79	471.31	672.14	938.53
5	37	नगर विकास विभाग	625.51	238.51	654.69	2,762.12	1,390.72
6	42	न्याय विभाग	172.36	178.52	223.31	330.65	329.12
7	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	636.11	372.97	271.58	370.04	1,058.88
8	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	681.45	1,041.27	1,265.68	1,384.03
9	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	888.00	1,865.81	2,567.23	4,390.54	3,229.85
10	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	582.87	1,276.77	874.11	787.75	918.15
11	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	745.76	816.09	348.28	422.39	278.80
12	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	792.46	1,762.10	1,315.74	2,509.94	2,306.78
13	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	504.35	198.79	738.76	745.95	766.33
		योग	**6,443.97**	**9,451.04**	**9,765.68**	**17,450.61**	**16,366.23**
पूंजीगत–दत्तमत							
14	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	100.86	177.73	470.53	286.17	533.67
15	26	गृह विभाग (पुलिस)	488.36	363.24	126.51	110.84	282.44
16	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	373.36	164.73	148.22	640.44	635.44
17	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	415.46	588.84	524.04	1,634.76	1,357.70
		योग	**1,378.04**	**1,294.54**	**1,269.30**	**2,672.21**	**2,809.25**
पूंजीगत–भारित							
18	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46	3,711.90
		योग	**9,999.25**	**9,934.16**	**9,840.02**	**9,971.46**	**3,711.90**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

अनुदानों की पर्याप्त संख्या में वर्ष भर अनवरत बचतें, धन की आवश्यकता एवं व्यय के प्रवाह की बिना उचित जाँच के राज्य सरकार द्वारा लगातार निधि की आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2015–16 में 52 प्रकरणों में ₹ 8,120.51 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है। अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि अनुपूरक बजट में किया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित नहीं था।

2.3.7 अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोग

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है[3]।

अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप, 46 अनुदानों के 135 उपशीर्षों में ₹ 3,053.82 करोड़ की बचत तथा 31 अनुदानों के 63 उपशीर्षों में ₹ 1,004.36 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.5*** में दिया गया है।

2.3.8 अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

227 उपशीर्षों से सम्बन्धित अत्यधिक धनराशियों, ₹ 9,245.82 करोड़ (92 *प्रतिशत*) का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) किया गया, इनमें से वर्ष 2015–16 में कुल प्रावधानित ₹ 10,076.37 करोड़ थी, जिसमें 95 योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु प्रावधानित (₹ 4,941.22 करोड़) का शत–*प्रतिशत* अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण अनुदानों के नाम, लेखाशीर्षों, अभ्यर्पित धनराशि, अभ्यर्पण के कारणों, जैसा कि शासन द्वारा सूचित किया गया, के साथ ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है। अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित सावधानी नहीं रखी गयी।

2.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वर्ष 2015–16 में 12 अनुदानों/विनियोगों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 5,740.03 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 5,938.18 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 198.15 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

---

[3]बजट मैनुअल भाग–II

2.3.10 अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान /विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2015–16 के अन्त में अनुदानों /विनियोगों के 47 प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। इनमें ₹ 12,631.61 करोड़ की धनराशि निहित थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 83 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में बचत की धनराशि ₹ 34,191.65 करोड़ में से ₹ 18,583.12 करोड़ (54 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत ₹ 47,067.01 करोड़ का 39 *प्रतिशत* थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में दिया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वित्तीय नियन्त्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरूद्ध रहीं तथा इनका उपयोग विकास के वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

2.3.11 राजस्व और पूंजी लेखे के अन्तर्गत व्ययों का गलत वर्गीकरण

राजस्व व्यय स्वभावतः आवर्ती होता है और राजस्व प्राप्तियों से होना माना जाता है। भारत सरकार लेखा मानक–2 (आई.जी.ए.एस–2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति के मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने से अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा लघु निर्माण कार्यों हेतु प्रावधान राजस्व शीर्ष में न करके पूंजीगत शीर्ष में किया गया एवं धनराशि ₹ 60.17 करोड़ को पुस्तांकित किया गया। अनुदानों पर व्यय धनराशि ₹ 33.54 करोड़ पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में प्रदर्शित होना चाहिए।

2.3.12 राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने आकस्मिकता निधि का गठन किया है। 1 अप्रैल 2015 को इसका कार्पस् (कोष) ₹ 600 करोड़ था। इसे एक अध्यादेश (संख्या–3 दिनांक 1 मई 2015) द्वारा राज्य की संचित निधि से आहरण हेतु बढ़ाकर ₹ 4,400 करोड़ किया गया। वर्ष 2015–16 में इससे ₹ 3,214.44 करोड़ का अग्रिम लिया गया।

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, आकस्मिकता निधि को अंतरण हेतु संचित निधि से निकाली गई धनराशि मुख्य लेखा शीर्ष '7999–आकस्मिकता निधि को विनियोजन' को डेबिट तथा मुख्य लेखा शीर्ष '8000–201–संचित निधि से विनियोजन' को क्रेडिट की जाएगी। तथापि, यह संज्ञान में आया है कि लेखा प्रक्रिया, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित है, को ध्यान में न रखते हुए (यथा, संचित निधि से विनियोग किये बिना मुख्य लेखा शीर्ष '7999' को डेबिट किया गया) धनराशि आहरित की गयी।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बताया (जून 2016) कि मई 2015 में एक अध्यादेश के द्वारा इसकी सीमा को बढ़ाया गया था। यह स्थाई नहीं था, इसलिए विधान सभा में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अनुपूरक बजट में धनराशि के अन्तरण के लिये कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया।

2.3.13 आकस्मिकता निधि से अग्रिम – प्रतिपूर्ति नहीं की गयी

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेन–देन वित्त लेखे के विवरण संख्या–21 में मुख्य शीर्ष 8000–आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत दर्शाये जाते हैं। वर्ष 2015–16 में यह संज्ञान में आया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 44.07 करोड़ आहरित किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष आकस्मिकता निधि में, मार्च 2016 के अन्त तक, नहीं की जा सकी।

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 37.77 करोड़ स्वीकृत हुआ था और विभाग द्वारा राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव 2015–16 में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की गणना (रैपिड सर्वे) के उद्देश्य हेतु धनराशि का आहरण किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की गणना हेतु धनराशि आहरित की गयी क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना में पिछड़ी जाति की जनसंख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था, जो पंचायत चुनाव 2015–16 कराये जाने हेतु आवश्यक था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ये अप्रत्याशित प्रकृति का व्यय नहीं था और इसका बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए था।

2.3.14 व्यय का अतिरेक

वर्ष 2015–16 के दौरान, कुल राजस्व व्यय का 27.43 *प्रतिशत* एवं कुल पूंजीगत व्यय का 35.12 *प्रतिशत* माह मार्च 2016 में ही व्यय किया गया। ऐसे व्यय विभागों के वर्ष के सम्पूर्ण बजट का महत्वपूर्ण भाग दर्शाते हैं। ऐसे प्रकरण, जिसमें मार्च माह में 10 *प्रतिशत* से अधिक व्यय किया गया, का विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है।

2.3.15 बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली, 1998 के नियम–4 भाग–2 के अनुसार, वैयक्तिक लेजर खाता महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष के नाम से खोला जायेगा। वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–V, भाग–1 का नियम–162 कोषागार से धनराशि के आहरण का निषेध करता है जब तक कि इसकी त्वरित संवितरण के लिए आवश्यकता न हो।

यद्यपि, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के स्वीकृति आदेश के नमूना जांच में पाया गया कि ₹ 91.99 करोड़ की धनराशि कोषागार से आहरित की गई एवं प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए नियमों के विरूद्ध वैयक्तिक लेजर खाते में जमा की गई, जिसका विवरण **सारणी 2.7** में दिया गया है।

सारणी 2.7: बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

क्र0 सं0	अनुदान संख्या, नाम, विभाग का नाम तथा मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	वैयक्तिक लेजर खाते में जमा की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय प्रभावों पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष
1	अनुदान संख्या 31 – चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) मुख्य लेखा शीर्ष 4210	0.50 8.41	0.50 0.20	• उपकरण क्रय करने हेतु ₹ 0.50 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2016) किया गया जिसे आहरित कर किंग जार्ज मेडिकल कालेज (के.जी.एम.यू.), लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया। • उपकरण क्रय करने हेतु ₹ 8.41 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2016) किया गया जिसमें से ₹ 8.21 करोड़ विभाग को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा शेष ₹ 0.20 करोड़ किंग जार्ज मेडिकल कालेज (के.जी.एम.यू.), लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया।
2	अनुदान संख्या 32 – चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) मुख्य लेखा शीर्ष 4210	0.87	0.87	• पाँच जनपदों में 10 बेड के पीडियाट्रिक आई.सी.यू., पाँच वेन्टीलेटर सहित, की स्थापना हेतु (₹ 17.32 लाख प्रति) कुल ₹ 0.87 करोड़ स्वीकृत किया गया (जनवरी 2016) जो आहरित करके वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया।
3	अनुदान संख्या 48 – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्य लेखा शीर्ष 4235	200.00	84.14	• अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल के सीमाओं के निर्माण हेतु ₹ 200 करोड़ स्वीकृत किया गया (अक्टूबर 2015), जिसमें से ₹ 115.86 करोड़ व्यय हुआ, शेष ₹ 84.14 करोड़ डी.आर.डी.ए., लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया।
4	अनुदान संख्या 83 – समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) मुख्य लेखा शीर्ष 4210	10.00	6.28	• उपकरण क्रय करने हेतु ₹ 10 करोड़ स्वीकृत (फरवरी 2016) किया गया जिसमें से ₹ 3.72 करोड़ विभाग को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा शेष ₹ 6.28 करोड़ किंग जार्ज मेडिकल कालेज (के.जी.एम.यू.), लखनऊ के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा (मार्च 2016) किया गया।
	योग	**219.78**	**91.99**	

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की संचित निधि से (अ) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (ख) संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए, अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात, विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न माँगों के अन्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत अनुदान होती हैं।

विनियोग अधिनियम, 2015 के कुल 93 अनुदानों में से सात अनुदानों[4] की माह सितम्बर 2016 में समीक्षा की गयी। वर्ष 2015–16 में, अनुदानों के बजट प्रावधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण एवं समीक्षा के परिणाम की चर्चा नीचे की गई है।

अनुदान संख्या 11– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 11 की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.8** में दी गयी है।

सारणी 2.8: अनुदान संख्या 11– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत *प्रतिशत* में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	3,043.74	3,048.90	2,610.16	(-) 438.74	14.39
अनुपूरक	5.16				
राजस्व – भारित					
मूल	0.15	0.15	1.13	0.98	-
अनुपूरक	-				
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	890.29	902.29	368.62	(-) 533.67	59.15
अनुपूरक	12.00				
महायोग	3,951.34	3,951.34	2,979.91	(-) 971.43	24.58
अभ्यर्पित धनराशि	**राजस्व – दत्तमत**		418.64		
	पूंजीगत – दत्तमत		534.51		

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदान की समीक्षा दर्शाती है कि:

- अनुदान संख्या 11– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत कुल ₹ 3,951.34 करोड़ का प्रावधान था। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 2,979.91 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 971.43 करोड़ (25 *प्रतिशत*) की बचत हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 3,048.90 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 2,610.16 करोड़ व्यय किया गया, बचत ₹ 438.74 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की हुई एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 902.29 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 368.62 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 533.67 करोड़ (59 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

- राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 5.16 करोड़ एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अर्न्तगत ₹ 12 करोड़ के अनुपूरक अनुदान का आवंटन किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की धनराशि ही व्यय नहीं की जा सकी थी।

[4] अनुदान संख्या 11– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या 48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण) एवं अनुदान संख्या 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)।

योजनावार बचतों की चर्चा नीचे की गयी है:

- ''नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एण्ड पाम ऑयल'' योजना के लिये ₹ 15.96 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 15.77 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन विभाग द्वारा केवल ₹ 12.42 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 3.36 करोड़, अभ्यर्पित की गई। इसके उत्तर में, विभाग द्वारा बताया गया कि ₹ 3.40 करोड़ 17 मार्च 2016 को निर्गत किया गया था तथा समयाभाव के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

- ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' योजना पर ₹ 229.51 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 188.07 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन विभाग द्वारा केवल ₹ 166.07 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 59.83 करोड, अभ्यर्पित कर दी गयी।

- ''प्रमाणित बीज पर अनुदान'' योजना के लिये ₹ 81.44 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 61.44 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन विभाग द्वारा केवल ₹ 39.33 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 20.11 करोड़, अभ्यर्पित की गई। इसके उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया कि खरीफ की फसल में सूखा तथा उन्नत प्रजाति के बीजों की कमी के कारण धान के बीज का वितरण नहीं हो पाया। विभाग के उत्तर से यह स्वतः प्रमाणित होता है कि बीज वितरण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

- ''नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नॉलॉजी'' के लिए ₹ 240.67 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। सरकार द्वारा ₹ 138.60 करोड़ निर्गत किया गया लेकिन विभाग द्वारा केवल ₹ 108.37 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 79.43 करोड़, अभ्यर्पित की गई।

- ''कृषि विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग'' योजना के लिए ₹ 28.67 करोड़ प्रदान किया गया था। विभाग द्वारा केवल ₹ 16.43 करोड़ का उपयोग किया गया तथा शेष धनराशि, ₹ 12.17 करोड़, अभ्यर्पित की गई। इसके उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया कि योजना के लिये संविदा की स्वीकृति न होने के कारण धनराशि अभ्यर्पित की गई।

- ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' के अन्तर्गत ₹ 373 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें से केवल ₹ 21.35 करोड़ का उपयोग किया गया। शेष ₹ 351.65 करोड़ अनुपयोगी रहा। विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

- जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये ₹ 0.50 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया था, जो सम्पूर्ण धनराशि अभ्यर्पित कर दी गयी। विभाग द्वारा बताया गया कि निविदा प्रक्रिया का अनुपालन न होने के कारण धनराशि का अभ्यर्पण किया गया।

बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 में कहा गया है कि बजट तैयार किये जाने का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक सम्भव हो वास्तविक व्यय/प्राप्तियों का सही अनुमान किया जाना है। उक्त अवलोकन ये दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका, जिस कारण से अत्यधिक धनराशि का अभ्यर्पण किया गया।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यद्यपि सरकार ने वर्ष 2015–16 को 'किसान वर्ष' घोषित किया था, तथापि अत्यधिक धनराशि का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 14– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) से सम्बंधित अनुदान संख्या 14 की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.9** में दी गयी है।

सारणी 2.9: अनुदान संख्या 14– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत *प्रतिशत* में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	7,052.96	8,156.82	5,039.13	(-) 3,117.69	38.22
अनुपूरक	1,103.86				
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	621.38	621.38	482.17	(-) 139.21	22.40
अनुपूरक	-				
महायोग	8,778.20	8,778.20	5,521.30	(-) 3,256.90	37.10
अभ्यर्पित धनराशि	**राजस्व – दत्तमत**		3,112.12		
	पूंजीगत – दत्तमत		138.95		

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदान की समीक्षा दर्शाती है कि:

- अनुदान संख्या 14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत कुल ₹ 8,778.20 करोड़ का प्रावधान था। प्रावधान के सापेक्ष, ₹ 5,521.30 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 3,256.90 करोड़ (37 *प्रतिशत*) की बचत हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 8,156.82 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 5,039.13 करोड़ व्यय किया गया, ₹ 3,117.69 करोड़ (38 *प्रतिशत*) की बचत हुई एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 621.38 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 482.17 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 139.21 करोड़ (22 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

- राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 1,103.86 करोड़ अनुपूरक अनुदान का आवंटन किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी।

- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 174(10) के अनुसार, यह एक प्रकार की वित्तीय अनियमितता है कि कोषागार से धनराशि का आहरण उसके तुरन्त उपयोग की आवश्यकता न होने पर कर लिया जाये।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई–जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी को लैपटाप/टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध कराये जाने हेतु निःशुल्क लैपटाप/टैबलेट /स्मार्टफोन वितरण योजना चलायी गयी। योजना के अन्तर्गत ₹ 5.30 करोड़ का आवंटन ग्राम पंचायत अधिकारियों को स्मार्टफोन वितरण हेतु किया गया और कड़ाई से आदेशित किया गया कि सन्दर्भित योजना हेतु धनराशि का आहरण एवं वितरण किया जाय। निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने दिनांक 31.03.2016 को बजटीय धनराशि जिला पंचायत के खाते में स्थानांतरण हेतु आदेश दिया था।

विभाग ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर धनराशि अभ्यर्पित न कर आवंटित धनराशि को जिला पंचायत (जिला निधि) के खाते मे स्थानांतरित कर दिया। यह विभाग की अनियमितता दर्शाता है क्योंकि कोषागार से धनराशि का आहरण बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये बिना किसी आवश्यकता हेतु किया गया जो शासन के आदेश और उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के विरुद्ध है।

अनुदान संख्या 35– चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 35 की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.10** तथा चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 36 की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.11** में दी गयी है।

सारणी 2.10: अनुदान संख्या 35– चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत *प्रतिशत* में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	4,946.59	4,946.59	3,542.48	(-) 1,404.11	28.39
अनुपूरक	-				
राजस्व – भारित					
मूल	0.26	0.26	0.07	(-) 0.19	73.08
अनुपूरक	-				
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	10.74	10.74	0.06	(-) 10.68	99.44
अनुपूरक	-				
महायोग	4,957.59	4,957.59	3,542.61	(-) 1,414.98	28.54
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व – दत्तमत		1,394.31		
	राजस्व – भारित		0.19		
	पूंजीगत – दत्तमत		10.68		

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)

सारणी 2.11: अनुदान संख्या 36– चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत *प्रतिशत* में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	611.24	620.24	375.74	(-) 244.50	39.42
अनुपूरक	9.00				
राजस्व – भारित					
मूल	0.02	0.02	-	(-) 0.02	100
अनुपूरक	-				
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	8.15	15.15	9.21	(-) 5.94	39.21
अनुपूरक	7.00				
महायोग	635.41	635.41	384.95	(-) 250.46	39.42
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व – दत्तमत		शून्य		
	पूंजीगत – दत्तमत		शून्य		

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदानों की समीक्षा दर्शाती है कि:

राज्य सरकार ने अनुदान संख्या 35 के अन्तर्गत ₹ 4,957.59 करोड़ तथा अनुदान संख्या 36 के अन्तर्गत ₹ 635.41 करोड़ का आवंटन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के अन्तर्गत व्यय, चिकित्सालय भवन के निर्माण, उपकरणों की खरीद इत्यादि के लिए किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों, बजट मैनुअल एवं सरकारी आदेशों में निहित निर्देशों के अनुपालन में आवंटित निधि में से व्यय करने की आवश्यकता है।

उक्त **सारणी** में दर्शायी गयी स्थिति से यह स्पष्ट है कि अनुदान संख्या 35 के अन्तर्गत कुल प्रावधान, ₹ 4,957.59 करोड़, के सापेक्ष ₹ 3,542.61 करोड़ का उपयोग हुआ तथा अनुदान संख्या 36 के अन्तर्गत कुल प्रावधान, ₹ 635.41 करोड़ के सापेक्ष ₹ 384.95 करोड़ का व्यय हुआ। आवंटन के सापेक्ष अनुदान संख्या 35 के अन्तर्गत ₹ 1,414.98 करोड़ (29 *प्रतिशत*) तथा अनुदान संख्या 36 के अन्तर्गत ₹ 250.46 करोड़ (39 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यू.पी.बी.एम.) के प्रस्तर संख्या 32 में परिकल्पित है कि अवकाश वेतन सहित वेतन एवं भत्तों के लिए बजट अनुमान स्वीकृत संख्या के आधार के स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के आधार पर करना चाहिए। यू.पी.बी.एम. के प्रावधानों का अनुपालन न होने के परिणामस्वरूप अनुदान संख्या 35 के विभिन्न शीर्षों[5] के अन्तर्गत अवकाश वेतन सहित वेतन एवं भत्तों के लिये ₹ 282.99 करोड़ का अधिक आवंटन हुआ, जो पद रिक्त होने के कारण बाद में अभ्यर्पित कर दिया गया।

इसी प्रकार, उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुये अनुदान संख्या 36 के विभिन्न शीर्षो[6] के अन्तर्गत वेतन एवं अवकाश वेतन के लिये भी बजट अनुमान स्वीकृत पदों के आधार पर किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 228.10 करोड़ की धनराशि का अभ्यर्पण रिक्त पदों के कारण किया गया।

- यू.पी.बी.एम. के प्रस्तर संख्या 141 में परिकल्पित है कि कुल अन्तिम बचतें 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देनी चाहिए जिससे इसे वित्त विभाग द्वारा व्यय शीर्ष के अन्तर्गत, जहाँ इसकी आवश्यकता हो, पुनर्विनियोग या अनुपूरक अनुदान द्वारा पुर्नआवंटित किया जा सके। अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदान संख्या 35 के दो शीर्षो[7] में ₹ 10.74 करोड़ की राशि का आवंटन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिये किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 10.68 करोड़ की राशि का अभ्यर्पण 31 मार्च को हुआ जो महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा जनपदों को व्यय के लिये जारी नहीं किया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य निधि की कमी के कारण नहीं किया जा सका तथा आवंटित निधि का अभ्यर्पण कर दिया

[5] 2211–001 (निर्देशन एवं प्रशासन) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 15.35 करोड़; 2211–003 (प्रशिक्षण) अभ्यर्पित धनराशिः अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 10.45 करोड़; 2211–101 (ग्राम्य परिवार कल्याण सेवा) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 135.63 करोड़; 2211–102 (शहरी परिवार कल्याण सेवाएं) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 11.53 करोड़; 2211–200 (अन्य सेवाएं तथा आपूर्ति) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 27.68 करोड़; 2211–103 (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 82.35 करोड़

[6] 2210–001 (अधिष्ठान व्यय) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 4.53 करोड़; 2210–003 (प्रशिक्षण) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 1.32 करोड़; 2210–101 (बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 220.44 करोड़; 2210–800 (अन्य व्यय) अभ्यर्पित धनराशिः ₹ 1.81 करोड़

[7] 4210–101 (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) ₹ 0.68 करोड़; 4210–101 (प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना) ₹ 10.00 करोड़

गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निधि का अभ्यर्पण 25 मार्च के बाद किया गया अतः यह वित्त विभाग को व्यय शीर्ष में पुनः आवंटित करने के लिये उपलब्ध नहीं था जहाँ इसकी आवश्यकता थी तथा इसलिये यह उस उद्देश्य के लिये अप्रयुक्त रहा जिसके लिये राज्य विधायिका द्वारा इसका आवंटन बजट में किया गया था।

इसी प्रकार, अनुदान संख्या 36 के दो शीर्षों[8] के अन्तर्गत ₹ 22.40 करोड़ की धनराशि, जिसमें शीर्ष 4210–04–107–03 के अन्तर्गत सरकारी सार्वजनिक विश्लेषक प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण के लिये उपकरण की खरीद हेतु ₹ 5.58 करोड़ भी सम्मिलित है, को भी 25 मार्च के स्थान पर 31 मार्च को उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अभ्यर्पित किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त प्रयोगशालाओं के कुल प्रावधानित निधि के अभ्यर्पण का मुख्य कारण उपकरण की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया का पूर्ण न होना था। इस प्रकार, ₹ 5.58 करोड़ का उपयोग सरकारी सार्वजनिक विश्लेषक प्रयोगशालाओं के लिए नहीं किया जा सका।

अनुदान संख्या 48– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या 48 की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.12** में दी गयी है।

सारणी 2.12 : अनुदान संख्या 48– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत *प्रतिशत* में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	1,768.24	1,821.74	968.93	(-) 852.81	46.81
अनुपूरक	53.50				
राजस्व – भारित					
मूल	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
अनुपूरक	-				
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	1,007.33	1,007.33	371.89	(-) 635.44	63.08
अनुपूरक	-				
महायोग	2,829.09	2,829.09	1,340.84	(-) 1,488.25	52.61
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व – दत्तमत		829.93		
	पूंजीगत – दत्तमत		633.85		

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदान की समीक्षा दर्शाती है कि:

- अनुदान संख्या 48– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान ₹ 2,829.09 करोड़ का था। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 1,340.84 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 1,488.25 करोड़ (53 *प्रतिशत*) की बचत हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,821.74 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 968.93 करोड़ व्यय किया गया, बचत ₹ 852.81 करोड़ (47 *प्रतिशत*) की हुई एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,007.33 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 371.89 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 635.44 करोड़ (63 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

[8] 2210–001 (अधिष्ठान व्यय) ₹ 16.82 करोड़; 4210–107 (प्रयोगशाला का उच्चीकरण) ₹ 5.58 करोड़

- राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत आवंटित ₹ 53.50 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की धनराशि ही व्यय नहीं की जा सकी थी।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की सम्पूर्ण प्रगति और विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु पूर्व–दशम छात्रवृत्ति योजना प्रांरभ की गयी।

योजनान्तर्गत, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी (छात्र/छात्रायें), जो 9 या 10 में पढ़ते हों और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ एक लाख से कम हो, ₹ 60 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। इसके अतिरिक्त, दशमोत्तर योजना के अन्तर्गत कक्षा 11 एवं 12 के छात्र ₹ 3,595 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे। विभाग द्वारा योजना के लक्ष्य एवं कार्यान्वयन का विवरण **सारणी 2.13** में दिया गया है।

सारणी 2.13: योजना का लक्ष्य एवं कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमानित लाभार्थी	बजट (मूल + अनुपूरक)	निर्गत धनराशि	लाभान्वित लाभार्थी	व्यय	अभ्यर्पण
1	पूर्व–दशम छात्रवृत्ति योजना (आयोजनेत्तर)	418333	30.12	19.64	0	0.00	19.64 (100)*
2	पूर्व–दशम छात्रवृत्ति योजना (जिला योजना)	146250	10.53	10.53	39268	2.76	7.77 (74)*
योग		**564583**	**40.65**	**30.17**	**39268**	**2.76**	**27.41**
1	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	513839	214.73	163.89	313774	106.76	57.13 (35)*

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)
*अभ्यर्पित धनराशि की प्रतिशतता कोष्ठक में दर्शायी गयी है।

निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा पूर्व–दशम छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान करने हेतु 564583 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया एवं ₹ 40.65 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष ₹ 30.17 करोड़ निर्गत किया गया। अभिलेखों द्वारा संज्ञान में आया कि केवल 39268 (सात *प्रतिशत*) लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ और ₹ 27.41 करोड़ (91 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित किया गया।

इसी प्रकार, विभाग द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 513839 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया और ₹ 214.73 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष ₹ 163.89 करोड़ निर्गत किया गया। जैसा कि अभिलेखों में पाया गया कि केवल 313774 (61 *प्रतिशत*) लाभार्थी योजना से लाभान्वित हुए एवं ₹ 57.13 करोड़ (35 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आवश्यकता न होने के कारण धनराशि अभ्यर्पित की गयी। यह भी बताया गया कि ₹ 30.12 करोड़ का आवंटन लगातार वर्ष 2014–15 से, पूर्व–दशम छात्रवृत्ति योजना हेतु किया जा रहा है।

विभाग का उत्तर स्वयं में सिद्ध करता है कि योजना हेतु बजट का उपयुक्त आकलन नहीं किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनावश्यक बजट का आवंटन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक धनराशि का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 80– समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) एवं अनुदान संख्या 83– समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 80 की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.14** में तथा समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) से सम्बन्धित अनुदान संख्या 83 की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.15** में दी गयी है।

सारणी 2.14: अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत *प्रतिशत* में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	5,275.05	5,329.05	4,661.60	(-) 667.45	12.52
अनुपूरक	54.00				
महायोग	5,329.05	5,329.05	4,661.60	(-) 667.45	12.52
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व – दत्तमत		शून्य		

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)

सारणी 2.15: अनुदान संख्या 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

(₹ करोड़ में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	बचत *प्रतिशत* में
राजस्व – दत्तमत					
मूल	11,612.85	13,511.74	11,204.96	(-) 2,306.78	17.07
अनुपूरक	1,898.89				
पूंजीगत – दत्तमत					
मूल	7,493.56	7,639.60	6,281.90	(-) 1,357.70	17.77
अनुपूरक	146.04				
महायोग	21,151.34	21,151.34	17,486.86	(-) 3,664.48	17.33
अभ्यर्पित धनराशि	राजस्व – दत्तमत		899.24		
	पूंजीगत – दत्तमत		613.56		

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)

उपर्युक्त अनुदानों की समीक्षा दर्शाती है कि:

- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के अनुसार बजट तैयार किये जाने का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक सम्भव हो वास्तविक व्यय/प्राप्तियों का सही अनुमान किया जाना है। अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) में कुल प्रावधान ₹ 5,329.05 करोड़ का था। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 4,661.60 करोड़ का व्यय किया गया और कुल ₹ 667.45 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

- अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 54 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवंटित किया गया जो अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान मूल बजट का ही उपयोग नहीं किया जा सका।

- अनुदान संख्या 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹ 21,151.34 करोड़ का था। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 17,486.86 करोड़ का व्यय किया गया और कुल ₹ 3,664.48 करोड़ (17 *प्रतिशत*) की बचत हुई। राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,511.74 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 11,204.96 करोड़ व्यय किया गया और ₹ 2,306.78 करोड़ (17 *प्रतिशत*) की बचत हुई। पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 7,639.60 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रावधान के सापेक्ष ₹ 6,281.90 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 1,357.70 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की कुल बचत हुई।

- अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,898.89 करोड़ का एवं पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 146.04 करोड़ के अनुपूरक अनुदान का आवंटन किया गया। अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग द्वारा 2015–16 के दौरान मूल बजट का उपयोग ही नहीं किया जा सका।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''समाजवादी पेंशन योजना'', वर्ष 2014–15 में चयनित गरीब परिवारों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उच्चीकरण हेतु, आरम्भ की गयी। योजना के अनुसार, परिवार के मुखिया को प्रतिमाह ₹ 500 का पेंशन दिया जाना था। वर्ष 2015–16 के दौरान, सरकार ने 45 लाख परिवारों को पेंशन देने हेतु इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य निश्चित किया और इस योजना हेतु ₹ 2,716 करोड़ का बजट आवंटन किया।

अनुदान संख्या 80 एवं अनुदान संख्या 83 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सरकार द्वारा लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ देने हेतु जो लक्ष्य निश्चित किया गया था उसे बजट की उपलब्धता के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 142.11 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। योजना का विवरण **सारणी 2.16** में दिया गया है।

सारणी 2.16: पेंशन योजना का लक्ष्य एवं कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	लक्षित लाभार्थी	लाभान्वित लाभार्थी	निर्धारित लक्ष्य में कमी	बजट की आवश्यकता	बजट आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
80	3150000	2920927	229073	1,890.00	1,908.90	1,785.03	123.87
83	1350000	1316203	33797	810.00	807.10	788.86	18.24
योग	4500000	4237130	262870	2,700.00	2,716.00	2,573.89	142.11

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर भुगतान किया गया, जो यह दर्शाता है कि या तो लाभार्थियों का अनुमान करने में उचित मापदंड नहीं अपनाया गया अथवा विभाग आवश्यक संख्या में लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करने में असफल रहा।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत ''विशेष घटक योजना'' (मुख्य लेखाशीर्ष 2235–02–789–07 छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) के लिए ₹ एक करोड़ का बजट आवंटन वर्ष 2015–16 के दौरान निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु किया गया। योजनान्तर्गत, इलाहाबाद और लखनऊ के 12 संस्थानों का चयन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिये किया गया। आवंटित धनराशि की प्रथम किश्त

₹ 0.50 करोड़ दिनांक 12.05.2015 को निर्गत की गयी और शेष आवंटित धनराशि की द्वितीय किश्त दिनांक 31.03.2016 को निर्गत की गयी।

अनुदान संख्या 83 की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि योजना के अन्तर्गत 2000 विद्यार्थियों ने 12 संस्थानों से कोचिंग प्राप्त किया। जिला कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद और लखनऊ द्वारा लाभार्थियों की सूची निदेशक, समाज कल्याण को संस्थानों के ₹ 0.99 करोड़ (छात्रवृत्ति धनराशि ₹ 0.43 करोड़ और निःशुल्क कोचिंग धनराशि ₹ 0.56 करोड़) के भुगतान हेतु दिनांक 17.03.2016 को उपलब्ध करायी गयी। निदेशक, समाज कल्याण द्वारा दिनांक 31.03.2016 को संस्थानों को भुगतान हेतु आदेश निर्गत किया गया। भुगतान आदेश विलम्ब से निर्गत होने के कारण दिनांक 31.03.2016 को ₹ एक करोड़ की आवंटित धनराशि व्यपगत हो गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि भुगतान आदेश में विलम्ब होने के कारण आवंटित धनराशि व्यपगत हो गयी। विभाग के उत्तर से स्वयं सिद्ध होता है कि विभाग की तरफ से उदासीनता अपनाने के कारण और भुगतान आदेश विलम्ब से निर्गत करने के कारण वर्ष 2015–16 के अन्त में ₹ एक करोड़ की धनराशि व्यपगत हो गयी जिसके परिणामस्वरूप विभाग पर अदेय देयता अगले वित्तीय वर्ष के लिए सृजित हो गई।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिये अत्यधिक धनराशि का आवंटन किया गया जिसका विवरण **सारणी 2.17** में दिया गया है।

सारणी 2.17: कल्याण योजनाएं एवं उनका बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम और लेखाशीर्ष	बजट आवंटन	अभ्यर्पित धनराशि
अनुदान संख्या 83– समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
1	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें; 2204–789–01	8.80	8.80
2	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का कार्यान्वयन; 2217–05–789–03	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता (जिला योजना); 2225–01–789–06	1.00	1.00
4	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज और पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता (जिला योजना); 2225–01–789–07	1.00	1.00
5	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण; 2230–03–789–05	1.13	1.13
6	छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण; 2235–02–789–07	1.00	1.00
7	बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं हेतु साड़ी; 2235–02–789–09	1.00	1.00
8	बी0पी0एल0 परिवार के वृद्ध जनों को कम्बल; 2235–02–789–10	1.00	1.00
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; 2401–789–02	50.00	50.00
10	समाजवादी शुद्ध पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर ए0टी0एम0; 2515–789–08	5.00	5.00
11	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें; 2810–01–789–01	0.59	0.59
12	निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस वे परियोजनायें; 2852–80–789–04	0.64	0.64
13	मैनपुरी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना; 4202–02–789–08	2.50	2.50
14	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें; 4415–789–01	10.94	10.94
15	जल निकास की योजनायें; 4711–03–789–03	1.34	1.34
16	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें; 4801–06–789–01	300.00	300.00
	योग	**410.94**	**410.94**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2015–16)

सारणी दर्शाती है कि अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत 16 योजनाओं के लिये कुल ₹ 410.94 करोड़ का बजट आवंटन किया गया परन्तु वर्ष 2015–16 के अन्त में, आवंटित धनराशि को शत–*प्रतिशत* अभ्यर्पित कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवंटित बजट को उपयोग में लाने के लिए प्रयास नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ऊपर दर्शायी गयी योजनाओं पर बिना व्यय किये सम्पूर्ण धनराशि अभ्यर्पित कर दी गयी।

2.5 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

निष्कर्ष

- **वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन**

  ₹ 44,393.67 करोड़ की कुल बचत, ₹ 47,067.01 करोड़ की बचत का परिणाम थी जो ₹ 2,673.34 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई। इसके अतिरिक्त अनावश्यक, अपर्याप्त, आधिक्य व बचत और अनुपूरक प्रावधानों के प्रकरण थे।

- **व्ययाधिक्य**

  वर्ष 2005 से 2015 की अवधि में 91 अनुदानों एवं 34 विनियोगों के अन्तर्गत किए गये व्ययाधिक्य ₹ 22,577.49 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में किये गये ₹ 1,566.71 करोड़ के व्ययाधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

संस्तुतियाँ

- सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय नियंत्रण प्रणाली समस्त विभागों में सुदृढ़ हो जिससे प्रावधान अनुपयोगी न रहे। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक, अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान से बचा जाये।

- सरकार को व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण के लिये त्वरित कदम उठाना चाहिए।